

6

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(14)ग्रावि/नरेगा/अनु.-3/वेज/68151/2014

जयपुर, दिनांक : 11/5/16

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी नरेगा  
समस्त राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेट की मजदूरी दर के संबन्ध में।  
संदर्भ:- विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 22.06.2015

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 23.03.2016 के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियोजित अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर दिनांक 01.04.2016 से रु. 181/- प्रति दिवस की गयी है।

उक्त दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप संदर्भित पत्र द्वारा जारी निर्देशों के अतिक्रमण में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियोजित मेट की मजदूरी दर में संशोधन कर दिनांक 01.04.2016 से रु. 194/- प्रति दिवस की जाती है। तदनुसार दिनांक 01.04.2016 से योजनान्तर्गत नियोजित मेट को रु. 194/- प्रति दिवस की मजदूरी दर से भुगतान किया जावे।

उक्त निर्देश वित्त विभाग की आई डी संख्या 101601497 से सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

ज

(त्रिभुवनपति)

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम महात्मा गांधी नरेगा समस्त।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/बाडमेर।
4. सलाहकार, आई.ई.सी., ईजीएस को समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति जारी कराये जाने हेतु।
5. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।
6. रक्षित पत्रावली।

अधिशायी अभियन्ता, ईजीएस

अधिशायी अभियन्ता, ईजीएस